राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांकः प. 3(10)गृह–1/2011 जयपुर, दिनांक 28 JUN 2018

आज्ञा

राजस्थान विधि विज्ञान सेवा नियम, 1979 में यथा उपबंधित सम्यक विज्ञापन के पश्चात राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा चयनित निम्नलिखित अभ्यर्थी को राजस्थान राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला में वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के पद पर परिवीक्षाधीन प्रशिक्षु के रूप में वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.15(1)वित/नियम/2017 दिनांक 30.10.2017 के अनुसार नियत पारिश्रमिक 42500/–प्रतिमाह एवं परिवीक्षाकाल सन्तोषजनक रूप से पूर्ण करने के उपरान्त पे–मैट्रिक्स लेवल संख्या 15 पर अथवा जो अभ्यर्थी पूर्व से नियमित राज्य सेवा में कार्यरत है, उनके संदर्भ में वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.1(2)वित/नियम/2006, दिनांक 13.03.2006 के अनुसार देय वेतन भत्तों पर उनके द्वारा उपस्थिति देने की तिथि से एतद् द्वारा नियुक्त किया जाता है:–

क्र.सं.	मैरिट	रोल नं.	अधिकारी का नाम/ पिता का नाम	जन्म तिथि	श्रेणी	खण्ड का नाम/पदस्थापन स्थान
1.	2	100021	श्रीमती सुनीता पाल/ श्री श्याम लाल पाल	26.06.1986	BE,WE	रसायन खण्ड, क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, उदयपुर

उक्त नियुक्ति निम्नलिखित शर्तो के अधीन की जा रही है:–

1. रसायन ख़ण्ड में चयनित उक्त अभ्यर्थी के नियुक्ति आदेश माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन एस.बी. सिविल रिट पिटीशन संख्या 12591/2016, 12592/2016 व 12600/ 2016 में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अध्यधीन होगा।
2. उक्त अभ्यर्थी की नियुक्ति राजस्थान विधि विज्ञान सेवा नियम, 1979 के उपबंधों एव अपेक्षाओं के अनुसार की गई है, जो राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों/परिपत्रों में अधिकथित निबंधनों एवं शर्तो के अध्यधीन है।
3. सेवा में नियुक्त किये गये उक्त अभ्यर्थी द्वारा परीवीक्षा की कालावधि के दौरान या प्रशिक्षण की समाप्ति के दो वर्ष के भीतर त्याग पत्र दे देता है, या कोई अन्य नियुक्ति ग्रहण कर लेता है, तो प्रशिक्षण की कालावधि के दौरान उसे संदत्त की गई परिलब्धियों की दो गुना राशि, साथ ही सरकार द्वारा उसके प्रशिक्षण पर उपगत व्यय

.........2

AS/Seemli 9
2/7/2018